राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा आमेर दुखान्तिका मे मृत 2 छात्रों के परिजनो को 13 लाख रूपऐ की सहायता।

जयपुर— 12 जनवरी। पिछले दिनो आमेर मे बिजली गिरने से हुऐ भीषण हादसे मे राजस्थान विश्वविद्यालय के फाइव ईयर लॉ कॉलेज के प्रथम वर्ष मे अध्ययन कर रहे 02 युवा छात्रों 18 वर्षीय वैभव जाखड, व 20 वर्षीय अमन मीणा की दुखद मृत्यु हो गयी थी। आज इन दोनो छात्रों के परिजनो को प्रति छात्र 6 लाख 50 हजार रू. की सहायता राशि के चैक कुलपति प्रो. राजीव जैन द्वारा प्रदान किये गये।

इस अवसर पर कुलसचिव के.एम. दूडिया व छात्र कल्याण अधिष्ठाता डॉ. सरिना कालिया भी उपस्थित थे। उल्लेखनीय है कि बढती दुर्घटनाओं में युवाओं के घायल व मृत होने के भयावह परिदृश्य को ध्यान मे रखते हुए राजस्थान विश्वविद्यालय के जनसम्पर्क अधिकारी डॉ. भूपेन्द्र सिंह शेखावत द्वारा देश मे पहली बार किसी विश्वविद्यालय में छात्रों के घायल अथवा मृत्यु होने पर पर उन्हे सहायता दिये जाने की एक अभिनव छात्र दुर्घटना सहायता योजना राजस्थान विश्वविद्यालय में लागू की गई थी, इसी योजना के तहत इन दोनो छात्रों के परिजनो को आज 13 लाख रू. की यह सहायता प्रदान की गई है। इस योजना के तहत अब तक लगभग 1.50 करोड रू. की सहायता राशि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा छात्रों को प्रदान की जा चुकी है।

वर्तमान शैक्षणिक सत्र में किसी छात्र के घायल होने पर 70 हजार रू. व दुर्घटना मे मृत होने पर छात्र के मनोनीत परिजन को 07 लाख रू. की सहायता का प्रावधान इस योजना के तहत किया गया है।

जनसम्पर्क अधिकारी